

# पालय उपखण्ड अधिकारी मांडल ( भीलवाड़ा )

निर्देश अधिकारी :- श्री सी.एल. शर्मा, आर.ए.एस.

संख्या :- 89/18

कैम्प - भेजा

मार्ति गिता देवी 40<sup>श्री</sup> जगदीश शुर्जर-निवासी-कोचरिया, तहसील  
-- प्रार्थी

बनाम

कैम्प-50 सांखू शुर्जर-निवासी-कोचरिया, तहसील - माण्डल [कांरा]  
-- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू. रा. अधि. 1956

:: आदेश ::

दिनांक 07-05-18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर  
न किया कि ग्राम..... कोचरिया ..... पटवार हल्का ..... भेजा ..... तहसील मांडल / में  
खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 219, 220/2 ..... कुल किता..... 02  
08 बीघा ..... 16 ..... बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी  
विवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते  
संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 3.4.18 ..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का  
प्रकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं  
था न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त  
आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ..... कोचरिया  
द्वारा हल्का ..... भेजा ..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नम्बर ..... 219, 220/2 .....  
..... कुल किता ..... 02 ..... रकबा ..... 08  
बीघा ..... 16 ..... बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी  
किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक ..... भेजा  
को ..... 450/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके  
पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते  
हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी,  
माण्डल  
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर  
पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,  
माण्डल  
मांडल जिला भीलवाड़ा